

**मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन के अवधि 1.4.2011 से
31.3.2012 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट ऑडिट पैरों/अनुच्छेदों के सटिप्पण उत्तरों की अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई व कुछ ऑडिट पैरों/अनुच्छेदों का अंकेक्षण के दौरान निपटारा किया गया। पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

पैरा 11 अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

पैरा 7 अनिर्णीत

पैरा 10 अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

पैरा 3 निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)

पैरा 4 निर्णीत

पैरा 5 निर्णीत

पैरा 6 निर्णीत

पैरा 7 अनिर्णीत

पैरा 8 निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई कर दी गई है)

पैरा 9 अनिर्णीत

पैरा 10 निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई कर दी गई है)

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन के अवधि 4/2011 से 3/2012 के लेखाओं का अंकेक्षण, श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी तथा श्री अमर दत्त, लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। अंकेक्षण द्वारा आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 12/2011 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 12/2011 का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना के प्रदान न करने के कारण पाई गई त्रुटि के उत्तरदायी नहीं हैं।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, के वर्ष 2011-12 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹11,000 आंका गया जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 के नाम भेजने हेतु अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अधियाचना संख्या: 2012-13-171 दिनांक 13.02.2013 द्वारा अनुरोध किया गया। मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन द्वारा दी जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक सीमित सोलन के बैंक ड्राफ्ट सं0 139725 दिनांक 16.2.2013 के माध्यम से ₹11000/- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति :-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन के लेखाओं की आय-व्यय विवरणिका तथा तुलनपत्र (Balance Sheet) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट -“क” से परिशिष्ट-“ड” पर संलग्न है।

5 निवेश :-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ₹581267/- का कुल निवेश सावधि जमा योजना में किया गया जिसमें से ₹282178/- जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक सीमित सोलन की सावधि जमा में निवेशित है तथा ₹299089 विजय बैंक सोलन के सावधि जमा खाते में निवेशित है जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

6 बचत खातों में आवश्यकता से अधिक जमा राशि रखने बारे:-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित सोलन के बचत खाता संख्या 11466 में दिनांक 31.3.2012 को ₹449397/- जमा थी जोकि काफी अधिक प्रतीत होती है। यहां पर यह भी वर्णित किया जाता है कि बचत खाते पर ब्याज दर सावधि निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज दर की तुलना में बहुत ही कम होती है जिस कारण अभिकरण को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय की हानि हो रही है। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके बचत खाते में आवश्यकता के अनुसार ही राशि रखी जाए तथा अधिक राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अधिक से अधिक राशि अर्जित की जा सके।

7 सहायता अनुदान:-

(क) वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन को ₹475000/- (चार लाख पचहत्तर हजार रुपये) राज्य सरकार से तथा ₹300,000 केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई।

(ख) वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि में केन्द्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के प्रारम्भिक शेष, प्राप्ति उपयोग तथा अन्तशेष का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

	राज्य सरकार का भाग	केन्द्र सरकार का भाग	कुल योग
प्रारम्भिक शेष	1126792	(-)189961	936831
वर्ष के दौरान अनुदान की प्राप्ति	475000	300000	775000
योग	1601792	110039	1711831
वर्ष के दौरान उपयोग की गई अनुदान राशि	(-)779620	(-)287709	(-)1067329
अन्तशेष (उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अनुसार)	822172	(-)177670	644502

उपरोक्त अनुदानों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट "च" पर संलग्न है। उपरोक्त विवरणानुसार एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष के अन्त में दिनांक 31.3.12 को राज्य सरकार का भाग ₹822172/- तथा केन्द्र सरकार का भाग (-) 177670/- अन्तशेष के रूप में पाया गया। अतः केन्द्र सरकार के भाग में अधिक भुगतान की गई ₹177670/- की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 भुगतान से सम्बन्धित ₹3000/- की पावति प्रस्तुत न करना:—

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री हेम राज गांव वसी, डाकघर बसी तहसील श्री नैणा देवी जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) को केस नं० 2/2011-12 के अन्तर्गत ₹3000/- का अनुदान तालाब सुधार हेतु भुगतान किया गया परन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित रसीद लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं करवाई गई जिस कारण श्रीमति बिमला देवी को भुगतान की गई अनुदान राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त से सम्बन्धित पावती प्राप्त करके इसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अनुदान राशि की स्वीकृति करना:—

श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह गांव व डाकघर पन्जावर तहसील ऊना (हिमाचल प्रदेश) को केस नं० 1/2007-08 के अन्तर्गत एक अश्व शक्ति के "दो" एरियेटर खरीदने हेतु ₹37500/-का अनुदान पत्र संख्या एफएफडीए-सोल -3-5/2005-(डी) -16/2007-08 दिनांक 19.9.2007 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया। इस प्रकरण में अनुदान प्रदान करने की शर्तों के अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य था कि लाभार्थी द्वारा 3000/किलोग्राम/प्रतिहैक्टेयर/प्रतिवर्ष की दर से मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है परन्तु सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को प्राप्त किए बिना ही अनुदान की राशि स्वीकृत कर दी गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी में अवलोकनार्थ/सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

10 अनुदान की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त न करना:—

निम्नलिखित लाभार्थियों को तालाब बनाने/तालाब सुधार हेतु मत्स्य विकास अभिकरण, सोलन द्वारा अनुदान की राशि प्रदान की गई थी परन्तु अभिकरण द्वारा इन लाभार्थियों से अनुदान राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र फार्म सबी" पर प्राप्त नहीं किए गए। अतः इन लाभार्थियों से अनुदान राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र फार्म "बी" पर प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र०सं०	केस नं०	लाभार्थी का नाम
1	2/2010-11	श्रीमति बिमला देवी पत्नी श्री हेम राज
2	16/2010-11	श्री रमेश चन्द शर्मा सुपुत्र श्री होशियार सिंह शर्मा
3	2011-12	श्री सोहन सिंह सुपुत्र श्री गोविन्द राम

11 वाहन के उपयोग बारे:-

दिनांक 30.11.2011 को मत्स्य कृषक विकास अभिकरण द्वारा वाहन संख्या एच0पी0-07-ए-455 में दुर्गा सर्विस स्टेशन सोलन के बिल नं0 3604 के अन्तर्गत ₹1200/- व्यय करके 30 लीटर डीजल डलवाया गया। उक्त वाहन मत्स्य विभाग शिमला से सम्बन्धित है। अतः मत्स्य विभाग शिमला के वाहन में 30 लीटर डीजल डलवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और यदि यह वाहन मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन के कार्य के लिए उपयोग किया गया हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाए कि उक्त वाहन का उपयोग मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, सोलन के कार्य हेतु किया गया है।

12 स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करने बारे:-

निम्नलिखित वस्तुएं निकाय की 35वीं बैठक हेतु विभिन्न फर्मों से क्रय की गई हैं परन्तु इन वस्तुओं की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई हैं। अतः इनकी प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए:-

क्र0सं0	कैश मैमो सं0 व दिनांक	वस्तु का नाम	सं0	मूल्य	फर्म का नाम
1	8089 दिनांक 31.10.2011	रजिस्टर	एक	105	फ्रैण्डस स्टेशनरी मार्ट बिलासपुर
2	4795 दिनांक 8.11.2011	बैग	एक	600	क्वालटी अटैची वर्क्स शिमला
3	11636 दिनांक 8.11.2011	पैन पारकर	दो	450	मिनर्वा बुक हाउस दी माल शिमला

13 लघु आपत्ति विवरणीका :- लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई है।

14 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या :-फिन(एल0ए)सी(15)(14)-100/86-खण्ड-8-4119-4122, दिनांक, 21.06.2013
शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत :- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण स्थित शामती, स्थित सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
- (2) उप सचिव (मत्स्य) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002.
- (3) मुख्य मत्सय प्रारक्षी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।
- (4) श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.